

आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

मध्यप्रदेश शासन

विभाग

मंत्रालय ।

क्रमांक:-

भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय ।

विषय:- आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति करने बाबत ।

—00—

1. वे परिस्थिति जिसमें प्रावधान को बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सका ।
2. वे कारण की उक्त व्यय स्थगित किया जाना संभव नहीं है ।
3. वित्तीय वर्ष शेष माह में अपेक्षित कुल व्यय की मात्रा ।
4. अग्रिम के रूप में मांग की जा रही धनराशि का औचित्य ।
5. बजट नियंत्रक अधिकारी का पद एवं नाम ।
6. आहरण एवं सवितरण अधिकारी का पदनाम ।

1. वांछित धनराशि
2. माग सख्या
3. मुख्य शीर्ष
4. उपलेखा शीर्ष
5. लघुशीर्ष
6. योजना का नाम

7. उद्देश्य एवं विस्तृत शीर्ष
8. प्रस्तावित अगिम-की-प्रतिपूर्ति
9. क्या प्रस्तावित राशि बचत / पुनर्विनियोजन में समायोजित होगी ।
10. प्रस्तावित धनराशि केन्द्र प्रवर्तित / केन्द्र क्षेत्रीय योजना / अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त हो रही है ।